[illegible] राज्य कार्य में व्यस्त है अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/1/25 को पेश हो।

3/1/2025

पत्रावली पेश हो। वकील वादी व प्रतिवादी सं. 1, 5 व 6 उपस्थित। [illegible] अभिभाषक की बाद को योग्यता/पात्रता होना सिद्ध [illegible] होने तक [illegible] पत्रों का निबंधन किया जाकर [illegible] व पत्रावली का [illegible] कार्यालय का [illegible] पर [illegible] / पात्रता होना सिद्ध [illegible] प्रतिवादी गण को नोटिस [illegible] पालन किया जाता है। [illegible] प्रकरण से संबंधित [illegible] पत्रावली नियम [illegible] पत्रावली केवल [illegible] बाद तामील [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (आमागढ़)

30/1/25 वकील वादीगण के प्रार्थना अन्तर्गत धारा 152 CPC पर मुझ द्वारा पत्रावली तलब की जाकर पेश हुई। वकील वादीगण की प्रार्थना 152 CPC पर बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में कहा कि दिनांक 3/1/25 को निर्णय व डिक्री में लिपिकीय त्रुटि के कारण निर्णय के पेज नम्बर 3 पर ग्राम खेतापुरा के स्थान पर रेवतपुरा दर्ज हो गया। जिसे दुरुस्त किया जावे। पत्रावली, निर्णय व डिक्री दिनांक 3/1/25 व प्रार्थना पत्र 152 CPC का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील वादीगण की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दिनांक 3/1/25 के निर्णय के पेज नम्बर 3 पर अन्तिम मद की दूसरी लाईन में एवं डिक्री में सहवश से ग्राम खेतापुरा दर्ज हो गया जबकि ग्राम रेवतपुरा दर्ज होना चाहिये था। जिसे हम दुरुस्त करना उचित समझते हैं अतः आदेश दिये जाते हैं कि दिनांक 03/01/25 के निर्णय के पेज नम्बर 3 के अन्तिम मद की दूसरी लाईन में एवं डिक्री में ग्राम खेतपुरा के स्थान पर रेवतपुरा पढ़ा जावे। इस आशय का नोट निर्णय व पत्रावली डिक्री में अंकित किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (आमागढ़)